झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

डब्ल्यू.पी. (एस) क्रमांक 5307/2021

सुरेश प्रसाद सिंह, आयु लगभग 69 वर्ष, पुत्र श्रीमती मेदनी सिंह, निवासी गांव औंठा, डाकघर और थाना मोकमाघाट, जिला पटना, बिहार ... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम, इसके अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के माध्यम से, जो कि इसके कार्यालय का पता इटकी रोड, हेहल, डाकघर - हेहल, थाना - सुखदेवनगर, जिला - रांची है।
2. जिला प्रबंधक, झारखंड राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम, डाकघर, थाना और जिला - गुमला।
3. बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम इसके प्रबंध निदेशक के माध्यम से, खाद्य भवन, डाकघर - जी.पी.ओ, थाना - कोतवाली, जिला - पटना, बिहार।
4. कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त इसके क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के माध्यम से, जेल रोड, डाकघर + थाना - लालपुर, जिला - रांची।

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री राहुल रंजन, अधिवक्ता
प्रतिवादियों की ओर से : श्री मृणाल कांति रॉय, अधिवक्ता
श्री राकेश रंजन, अधिवक्ता
श्री अभिजीत कुमार सिंह, अधिवक्ता

<u>प्रस्तुत</u>

माननीय श्री न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा :- पक्षों की सुनवाई की गई।

2. यद्यपि यह रिट याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कई प्रार्थनाओं के साथ दाखिल की गई है, लेकिन याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता अपनी प्रार्थना को इस बात तक सीमित करता है कि प्रतिवादी संख्या 1 को कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान की जानकारी प्रतिवादी संख्या 4

को भेजने का निर्देश दिया जाए और यदि कोई डिफॉल्ट हो, तो डिफॉल्ट राशि भी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के पास जमा करवाई जाए और प्रतिवादी संख्या 4 को निर्देश दिया जाए कि वह याचिकाकर्ता को भविष्य निधि राशि निर्दिष्ट समय सीमा में भुगतान करे, तथा प्रतिवादी संख्या 1 और 3 को पांचवे और छठे वेतन पुनरीक्षण के लाभों का बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया जाए।

3. प्रतिवादियों की ओर से कोई गंभीर आपत्ति नहीं है।

4. वकील द्वारा प्रस्तुत दलीलें सुनने के बाद, यह रिट याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 को कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान का विवरण प्रतिवादी संख्या 4 को भेजने का निर्देश दिया जाए और यदि कोई डिफॉल्ट होता है, तो डिफॉल्ट राशि भी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के पास जमा करवाई जाए। साथ ही, प्रतिवादी संख्या 1 और 3 को निर्देश दिया जाता है कि वे इस निर्णय की तारीख से तीन महीने के भीतर पांचवे और छठे वेतन पुनरीक्षण के लाभों का बकाया प्रतिवादी संख्या 4 को भुगतान करें, और प्रतिवादी संख्या 4 को निर्देश दिया जाता है कि वह प्रतिवादी संख्या 1 और 3 से राशि प्राप्त करने के छह सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को पांचवे और छठे वेतन पुनरीक्षण के लाभ का बकाया भुगतान करें।
5. जहां तक पांचवे और छठे वेतन आयोग के लाभ के साथ-साथ वैधानिक ब्याज का सवाल है, प्रतिवादी संख्या 4 को निर्देश दिया जाता है कि वह यदि कोई बकाया राशि याचिकाकर्ता को देनी है, तो उसे इस आदेश की प्रति प्राप्त करने / प्रस्तुत करने के तीन महीने के भीतर वैधानिक ब्याज सहित भुगतान करे।
6. इस रिट याचिका को इसी अनुसार निस्तारित किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, ज.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
तारीख: 17 फरवरी, 2024
स्मिता/एएफआर

***यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।**